

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/कार्य/1163/2020 11/21-22 फरवरी/राँची, दिनांक 01-09-2021

प्रेषक,

प्रशांत कुमार,
सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड
पो०-हिन्, राँची।

द्वारा :- आंतरिक वित्तीय सलाहकार

विषय :- सिंचाई प्रमण्डल, सिकटिया के अन्तर्गत अजय बराज योजना के गेटों के सुरक्षित परिचालन एवं संपोषण हेतु रु० 15.477 लाख (रुपये पन्द्रह लाख सैतालिस हजार सात सौ) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश स्वीकृत

- सिंचाई प्रमण्डल, सिकटिया के अन्तर्गत अजय बराज योजना के गेटों के सुरक्षित परिचालन एवं संपोषण हेतु रु० 15.477 लाख (रुपये पन्द्रह लाख सैतालिस हजार सात सौ) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है।
- प्रस्तावित कार्य का अवयववार विवरणी निम्नवत् है :-

S.N.	Name of work	Amount (Rs.)
1	Provision of three (03) no semi skilled gate operator for operation of Ajay Barrage Gates for period 01.04.2021 to 31.03.2022	330894.00
2	Provision of six (06) no Un-skilled labour cum helper for maintenance and operation of Ajay Barrage for period 01.04.2021 to 31.03.2022	620440.20
3	Provision of diesel for running 125 KVA DG Set for operation of barrage gates and H/R gates.	63367.20
4	Provision for 12v 100 Ah Exide Battery for 125KVA DG Set.	7800.00
5	Provision for Maintenance and Repair of 125 KVA DG Set for Sudden Breakdown and Hidden turbulences.	20000.00
6	Provision for Payment Electricity Bill of Ajay Barrage for period April 2021 to March 2022. (Bill due upto May 21 - Rs. 106429.00 Provision upto Mar 22 - Rs. 325000.00 (32500 X 10 = 325000.00) Rs. 431429.00 Say Rs. 431500.00	431500.00
	Total (In Rs.)	
	Add 5% for change of pay index of Labour (Rs.)	1474001.40
	Total Rs.	73700.07
	Say Rs.	1547701.47
		15.477 Lakhs

4. यह कार्य वित्तीय वर्ष 2021-22 में पूर्ण कराया जाएगा।

5. इस कार्य पर होनेवाला व्यय:-

मुख्य शीर्ष 4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-46-सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन-विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-45-निर्माण कार्य के अन्तर्गत भारित होगा।

6. जल संसाधन विभाग के लिए वर्ष 2021-22 के बजट में
(i) शीर्ष 49-S-4701-80-789-46-00-05-45 अन्तर्गत रु० 200.00 लाख का एकमुश्त प्रावर्णन है।
7. उक्त कार्य सिंचाई प्रमण्डल सिकटिया द्वारा कराया जायेगा। इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, सिकटिया होंगे एवं मुख्य अभियंता, देवघर इसके नियंत्री पदाधिकार होंगे।
8. प्रस्तावित कार्य के लिए राशि की निकासी उप कोषागार मधुपुर से की जायेगी।
9. इसके कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय-समय पर दिये गये निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से पालन करना अनिवार्य होगा।
10. इस कार्य के लिए वर्ष 2021-22 के बजट में उपबंध है।
11. राशि का आवंटन किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अंतर्गत होगा।
12. कोषागार से राशि की निकासी प्राक्कलन के अनुरूप वास्तविक कार्य के आधार पर तैयार विपत्र के आलोक में की जायेगी।
13. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम-174 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।
14. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
15. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखंड, पो०-हिनू राँची को संसूचित किया जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(प्रशांत कुमार)

सचिव

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/कार्य/1163/2020 11/21-22 506/राँची, दिनांक 01-09-21
प्रतिलिपि :- आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार झारखण्ड राँची को प्रेषण हेतु/योजना-सह-वित्त विभाग (योजना प्रभाग) झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/कार्य/1163/2020 11/21-22 506/राँची, दिनांक 01-09-21
प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, मधुपुर कोषागार झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव

(20)

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/कार्य/1163/2020 11/21-22 फरवरी/राँची, दिनांक 01-09-21
प्रतिलिपि :- सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख-I, जल संसाधन विभाग/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-1, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, सिकटिया/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्रमण्डल-3, जल संसाधन विभाग को Online स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु/उप सचिव (अभियंत्रण)/प्रशाखा पदाधिकारी-7, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/कार्य/1163/2020 11/21-22 फरवरी/राँची, दिनांक 01-09-21
प्रतिलिपि :- उपायुक्त, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिला अंतर्गत माननीय सांसद एवं विधायकगण को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/कार्य/1163/2020 11/21-22 फरवरी/राँची, दिनांक 01-09-21
प्रतिलिपि :- माननीय मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव